



झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,

धुर्वा, राँची - 834 004

दूरभाष-0651-2444501, 2444502, फैक्स-2444506

ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

An ISO 9001:2015 certified

विज्ञापन संख्या:-ME/01/393/2006/Partfile/2021/

## शुद्धिपत्र

### कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या ME/01/393/2006/Partfile/1537 दिनांक 06.09.2021 (छायाप्रति संलग्न) में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्णकालिक रसोईया एवं पूर्णकालिक चौकीदार के पद पर चयन की कार्रवाई जिला स्तर पर नहीं की जाएगी तथा इसके स्थान पर इनकी सेवाएँ विहित प्रक्रिया के तहत झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा सूचीबद्ध (Empanelled) की जाने वाली बाह्य एजेन्सी के माध्यम से किया जाएगा तथा इन पदों के लिए आवेदन जिला स्तरीय समग्र शिक्षा कार्यालय में चयन हेतु स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

आवेदन जमा करने की तिथि को विस्तारित करते हुए 30.09.2021 अपराह्न 05:00 बजे तक की जाती है।

पूर्व प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित किया जाता है। प्रकाशित विज्ञापन की शेष बातें तथा अन्य पदों हेतु निर्धारित प्रक्रिया पूर्ववत रहेंगी।

(किरण कुमारी पासी)  
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापक: ME/01/393/2006/Partfile/2021/ 1679  
प्रतिलिपि:

राँची, दिनांक: 22/09/2021

1. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने जिले के जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी से संपर्क कर इस शुद्धिपत्र को जिले के अधिकारिक वेब साईट में अपलोड कराना सुनिश्चित करायेंगे।
2. प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सूचना जन सम्पर्क विभाग को इस विज्ञापन से संबंधित सूचना प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराया जाए।
3. श्री सचिन कुमार, एम.आई.एस. समन्वयक-सह-तकनीकी समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि शुद्धिपत्र को जे.ई.पी.सी. के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(किरण कुमारी पासी)  
राज्य परियोजना निदेशक



विज्ञापन संख्या:-ME/01/393/2006/Partfile/1537

**कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना**

- विभागीय पत्रांक GE/8/145/2021/929 दिनांक 10.06.2021 एवं झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के पत्रांक ME/01/393/2006/Partfile/1315 दिनांक 11.08.2021 के आलोक में विभिन्न जिलों से प्राप्त कोटिवार रिक्त के आधार पर राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा राज्य के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में संचालित 203 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अहर्ताधारी महिला अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 27.09.2021 के अपराहन 05:00 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा कार्यालय में आमंत्रित किए जाते हैं :-

जिला	पद का नाम	रिक्त	रोस्टर						कुल
			UR	BC-I	BC-II	SC	ST	EWS	
झारखण्ड के सभी 24 जिलों में उपलब्ध रिक्त	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) - भाषा	93	46	8	3	12	24	0	93
	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) - गणित	90	36	6	3	15	30	0	90
	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) - विज्ञान	95	41	9	4	12	29	0	95
	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) - सा0 विज्ञान	63	33	4	3	6	17	0	63
	पूर्णकालिक (महिला)-लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	31	12	2	1	4	12	0	31
	पूर्णकालिक (महिला)-रसोईया	50	24	4	2	6	14	0	50
	पूर्णकालिक (महिला)-चौकीदार	57	29	4	5	5	14	0	57
राज्य योग		479	221	37	21	60	140	0	479

- उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र जिस जिले से संबंधित रिक्त हेतु संबंधित जिले के अभ्यर्था द्वारा जमा किया जा रहा है वे अपने संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा संबंधित जिले के जिला कार्यालय, समग्र शिक्षा अभियान (SSA) में अनिवार्य रूप से दिनांक 27.09.2021 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
- रिक्त चयन हेतु अहर्ता एवं निर्धारित परिलब्धि -

क्र. सं.	पदनाम	वांछित अहर्ता	देय परिलब्धि
1	भाषा शिक्षिका (हिन्दी एवं अंग्रेजी)	1. शैक्षणिक अहर्ता :- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (जिस विषय हेतु आवेदन कर रहे हैं) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक की अहर्ता, उच्चतर शैक्षणिक अहर्ताधारी को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी परन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में	1. शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रु. 10,000/- प्रतिमाह देय होगी। 03 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रतिमाह

05/39/14



# झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,

धुर्वा, राँची - 834 004

दूरभाष-0651-2444501, 2444502, फैक्स-2444506

ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

An ISO 9001:2015 certified

क्र. सं.	पदनाम	वांछित अहर्ता	देय परिलब्धि
2	गणित शिक्षिका	5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी।	परिलब्धि में 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह रु. 15000/- प्रतिमाह प्रदान की जायेगी।
3	विज्ञान शिक्षिका	2. प्रशैक्षणिक अहर्ता :- मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी. एड. अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता।	2. संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रु. की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी।
4	सामाजिक विज्ञान शिक्षिका	3. शिक्षक पात्रता परीक्षा :- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण।	
5	लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर (महिलाओं के लिए)	1. किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान/विश्वविद्यालय से बी. कॉम प्रतिष्ठा में 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्णता। 2. तकनीकी अहर्ता:- किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से एक वर्षीय कम्प्यूटर कोर्स में पी.जी.डी.सी.ए./डी.सी.ए./समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता। 3. कार्य अनुभव :- हिन्दी एवं अंग्रेजी में कम्प्यूटर टाईपिंग के साथ टैली साफ्टवेयर (Tally Software) की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। 4. चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जायेंगे।	1. संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रु. 7,500/- प्रतिमाह देय होगी। 03 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रतिमाह परिलब्धि में 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह रु. 11250/- प्रतिमाह प्रदान की जायेगी। 2. संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रु. की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी।
6	पूर्णकालिक रसोईया (महिलाओं के लिए)	मैट्रिक उत्तीर्ण तथा अभ्यर्थी को शारीरिक क्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं रहने का चिकित्सा प्रमाण पत्र जो कि सहायक असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत किया गया हो को आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र में अनुभवी अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्णकालिक रसोईया के लिए विद्यालय परिसर में निवास करना अनिवार्य होगा।	1. नियुक्ति संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रु. 5000/- प्रतिमाह देय होगी। 03 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रतिमाह परिलब्धि में 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह रु. 7,500/- प्रतिमाह प्रदान की जायेगी।
7	पूर्णकालिक चौकीदार (महिलाओं के लिए)	मैट्रिक उत्तीर्ण तथा शारीरिक रूप से रात्रि प्रहरी के रूप में कार्य करने में सक्षम अभ्यर्थी। चयन में संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखने वाली अनुभवी यथा- भूतपूर्व महिला सैनिक/केन्द्रीय सुरक्षाबल/राज्य पुलिस बल से सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।	2. संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रु. की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी।

चयन संबंधी दिशा-निर्देश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्तें निम्नवत हैं -

1. चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जायेंगे। पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. चयनित होने वाले शिक्षिका एवं शिक्षकत्तर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया एक वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में एक-एक वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जा सकेगा।

05/3/19

शिक्षा का अधिकारी  
सर्व शिक्षा अभियान



## झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,

धुर्वा, राँची - 834 004

दूरभाष-0651-2444501, 2444502, फैक्स-2444506


ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

An ISO 9001:2015 certified

3. सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
4. आयु सीमा :-
  - i. चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 तथा अधिकतम उम्र 35 वर्ष होगी परन्तु उच्चतम उम्र में कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापांक संख्या 29 दिनांक 04.01.2021 झारखण्ड सरकार के आलोक में निम्नवत् होगी :-

Sl.No.	Category	Maximum age limit
1	Unreserved Category	35
2	Female (UR/EWS/BC-I/BC-II)	38
3	Extremely Backward classes (Annexure I)/ Backward Classes (Annexure II)	37
4	SC/ ST (Female)	40
5	Person with bench mark disability (PwBD)	A relaxation of 10 years in their respective category.

- ii. अनुभवी महिला Ex-Servicemen को अपनी कोटि में 05 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी।
  - iii. उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 01.08.2021 के आधार पर की जायेगी।
5. आवेदन :- सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 27.09.2021 के संध्या 05:00 बजे तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा (SSA) के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
6. प्रकाशित विज्ञापन की विस्तृत प्रति जिसमें चयन की शर्तें, अहर्ता, जिलावार एवं कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं अन्य दिशा-निदेश झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के अधिकारिक वेबसाईट "<https://jepc.jharkhand.gov.in>" पर उपलब्ध है। चयन से संबंधित सभी दिशा-निदेश उपरोक्त वर्णित वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे तथा अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे समय-समय पर जानकारी हेतु वेबसाईट का अवलोकन करते रहेंगे। उपरोक्त जानकारी संबंधित जिलों के NIC के अधिकारिक वेबसाईट पर भी अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी।
7. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक :-
  - i. 23 x 10 से.मी. का स्व:पता लिखा हुआ दो लिफाफा।
  - ii. सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्व:अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाए।
  - iii. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र (झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) स्व:अभिप्रमाणित छाया प्रति।
  - iv. झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की स्व:अभिप्रमाणित छाया प्रति।
8. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा।
9. अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा।
10. अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित/रद्द करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेश अथवा जिले विशेष के चयन हेतु संबंधित जिले के उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना को सुरक्षित रहेगा।

  
शिक्षा का अधिकार  
सर्व शिक्षा अभियान



An ISO 9001:2015 certified

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्  
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,  
धुर्वा, राँची - 834 004  
दूरभाष-0651-2444501, 2444502, फैक्स-2444506  
ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

11. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे।
12. अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

*Jk mushra*  
3/9/24

*6/9/24*  
(किरण कुमारी पासी)  
राज्य परियोजना निदेशक,  
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्,  
राँची।

ज्ञापांक: MB/01/393/2006/part file/1537 राँची, दिनांक: 06/09/2024  
प्रतिलिपि:

1. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने जिले के जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी से संपर्क कर इस विज्ञापन को जिले के अधिकारिक वेब साईट में अपलोड कराना सुनिश्चित करायेंगे।
2. सभी जिलों के सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।
4. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

*Jk mushra*  
3/9/24

*6/9/24*  
(किरण कुमारी पासी)  
राज्य परियोजना निदेशक,  
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्,  
राँची।

ज्ञापांक: MB/01/393/2006/part file/1537 राँची, दिनांक: 06/09/2024  
प्रतिलिपि:

1. प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सूचना जन सम्पर्क विभाग को इस विज्ञापन से संबंधित सूचना प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराया जाए।
2. श्री सचिन कुमार, एम.आई.एस. समन्वयक-सह-तकनीकी समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि विज्ञापन सामग्री एवं आवेदन का प्रारूप को जे.ई.पी.सी. के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

*Jk mushra*  
3/9/24

*6/9/24*  
(किरण कुमारी पासी)  
राज्य परियोजना निदेशक,  
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्,  
राँची।